


11 ¹²/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट में पंजाब प्रशासन द्वारा/अनुपस्थित
पर पेश हुई प्रशासन द्वारा/अनुपस्थित
कोर्ट कैम्प में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।
अतः पत्रावली पूर्व निष्पत्ती के विभांक
12.12.22 को न्य. प्रशासन द्वारा हो।



अधिकारी
उपस्थित अधिकारी एवं
पदेन सहायक प्रशासक, तिजारा (अलवर)

17 ⁰²/₂₂

पत्रावली पेश की जा रही है प्रशासन द्वारा प्रशासन
द्वारा प्रशासन में पेश की

8 ⁴/₂₂

पत्रावली पेश की जा रही है प्रशासन द्वारा प्रशासन
द्वारा प्रशासन में पेश की

2 ⁰⁴/₂₂

पत्रावली पेश की जा रही है प्रशासन द्वारा प्रशासन
द्वारा प्रशासन में पेश की



उपस्थित अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपस्थित अधिकारी
तिजारा (अलवर)

From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

सुभाष बनाम दुलीचन्द वगै०

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र -212 संख्या 330 वर्ष 2019

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

आज यह पत्रावली वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 25.11.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्ररोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा 138/0.76 है० वाके ग्राम टपूकडा पर प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी को रहन, वय न करें व निर्माण कार्य न करें।

वयो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकौल प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

25/11/19 पत्रावली पेश हुई। दफ्तरीय फटीवैन उक्त
दिनांक 13/1/20 को पेश हो।

13/1/20 पत्रावली पेश हुई। दफ्तरीय फटीवैन उक्त
दिनांक 21/2/20 को पेश हो।

7/1/20 पत्रावली पेश हुई। दफ्तरीय फटीवैन उक्त
दिनांक 30/4/20 को पेश हो।